नई दिल्ली, 10 जून, 2024

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, मुम्बई (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1992 को, जहां तक उसका संबंध पशुशाला तकनीशियन, उच्च श्रेणीलिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई में पशुशाला तकनीशियन, उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई, पशुशाला तकनीशियन, उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना–** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.–वह व्यक्ति–**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैय या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैय

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. पशुशाला तकनीशियन।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300 रूपये)।

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(5)	(6)	(7)
लाग़ू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण**: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी या भेषज गुण विज्ञान में स्नातक की डिग्री या बैचलर ऑफ साइंस (जीव विज्ञान) या बैचलर ऑफ साइंस (पशु चिकित्सा) या बैचलर ऑफ साइंस (सूक्ष्म जीव विज्ञान)।

	होगी, और न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखण्ड **लद्दाख**, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप **संघ राज्यक्षेत्र** के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण** : परिवीक्षा को सफलतार्पूवक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भती द्वारा **टिप्पण**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,– (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई– अध्यक्ष; 2. उप औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन –सदस्य; 3. समूह 'क' अधिकारी, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उच्च श्रेणी लिपिक।	2* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100 रूपये)।

(5)	(6)	(7)
अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200 रूपये) में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पणः–**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** :– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी;- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 (19900–63200 रूपये) में निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:–** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें। **टिप्पण 2:–** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:–** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1.निदेशक, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई– अध्यक्ष; 2.उप औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन – सदस्य; 3. समूह 'क' अधिकारी, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई – सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
निम्न श्रेणी लिपिक।	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200 रूपये)

(5)	(6)	(7)
अचयन।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयेग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

(8)	(9)	(10)
जी हां, स्तंभ (11) के अधीन उपदर्शित विस्तार तक ।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो व वर्ष। **टिप्पण** : परिवीक्षा को सफलतार्पूवक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	(i) 85% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10% विभाागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा; और (iii) 5% ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
(i) दस प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (18000–56900 रूपये) में ऐसे समूह 'ग' के कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु पचास वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (ii) पांच प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (18000–56900 रूपये) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वत्तर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः 1. निदेशक, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई– अध्यक्ष; 2.उप औषधि नियंत्रक (भारत)केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिमी जोन मुम्बई–सदस्य; 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन किसी कार्यालय या प्रयोगशाला के समूह'क' अधिकारी– सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः 1. निदेशक, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई– अध्यक्ष; 2. उप औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिमी जोन मुम्बई–सदस्य; 3. समूह 'क' अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन किसी कार्यालय या प्रयोगशाला – सदस्य।	लागू नहीं होता।

ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. ए.12018/5/2022 –डीआरएस-(भाग-XI]

बिकास आर महतो, प्रवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 2024

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Laboratory, Bombay (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, in so far as they relate to the posts of Animal House Technician, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Animal House Technician, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Central Drugs Testing Laboratory Mumbai, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, Animal House Technician, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Animal House Technician.	1*(2024) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Bachelor degree in Pharmacy or Pharmacology or Bachelor of Science (Biology) or Bachelor of Science (Veterinary) or Bachelor of Science (Microbiology) from a recognised University or institute.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacanceis caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in parent cadre or Department; or (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under colmn (7).	Not applicable.

f a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai - Chairperson; 2. Deputy Drugs Controller (India), Central Drugs Standards Control Organisation -Member; 3. Any Group A officer, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Upper Division Clerk.	2* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).

(5)	(6)
Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
ot applicable.	By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years' regular service in the grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations.- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (b) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) in the parent cadre or department or equivalent. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for

		consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai - Chairperson; 2. Deputy Drugs Controller (India), Central Drugs Standards Control Organisation -Member; 3. Any Group A officer, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Lower Division Clerk.	4* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non- Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).

(5)	(6)
Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1.-** The crucial date for the determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)
(i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) a typing speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi on manual type-writer; or (iii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer.	Yes, to the extent indicated under column (11).

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. **Note.-** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) eighty –five per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by promotion on the basis of Departmental qualifying examination; and (iii) five per cent. by promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	(i) ten per cent. of the vacancies shall be filled from among Group ’C’ staff in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) and who passed 12th class from a recognised Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. **Note .-** The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five

		years in case of general candidates and upto the age of fifty years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. (ii) five per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in post with level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900). Note.- If the number of such employees then the number of vacancies available under clause (i) above shall be considered for filing the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination shall be considered before those who qualified at a later examination. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Central Drug Testing Laboratory, Mumbai-Chairperson; 2. Deputy Drugs Controller (India) Central Drugs Standard Control Organisation, West Zone, Mumbai–Member; 3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Drug Testing Laboratory, Mumbai-Chairperson; 2. Deputy Drugs Controller (India) Central Drugs Standard Control Organisation, West Zone, Mumbai–Member; 3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. -Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/05/2022-DRS-PART-(XI)]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.